न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :—

तारीख दायर – 5/1/2026

नन्दुबाई पत्नि रामलाल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज.

.......प्रार्थीया

1. शम्भुलाल पिता डमरा जी जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. जगदीश पिता होकम जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी बेरिसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

...............विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेशः–

दिनांक :– 23/2/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी नन्दुबाई ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियॉ खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 51 पर स्थित आराजी संख्या 99, कुल किता 1 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भुमि**,स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073–2076** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड् रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम **मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियॉ खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 51 पर स्थित आराजी संख्या 99, कुल किता 1 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भुमि,** की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 21/2026

तारीख दायर - 5/2/2026
तारीख निर्णय - 23/2/2026

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :– प्रकरण संख्या ....21/2026........

प्रथरगढी बाबत्।

नन्दुबाई पत्नि रामलाल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बिजौलियॉ खुर्द तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज.

........प्रार्थीया

1. शम्भुलाल पिता डमरा जी जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. जगदीश पिता होकम जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी बेरिसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा भु–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियॉ खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 51 पर स्थित आराजी संख्या 99, कुल किता 1 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भुमि,** की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा